**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5212/2024

Manohar Lal @ Mahendra S/o Thakara Ram, Aged About 26 Years, R/o Khara, Police Station Kharda, Dist. Sanchore. (Lodged In Sub Jail, Sanchore)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Dinesh Vishnoi |
| For Respondent(s) | : | Mr. Javed Gouri, PP With<br>Mr. Avinash Godara |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**

**Order**

**29/04/2024**

**01.** प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, पुलिस थाना झाब, जिला सांचौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57, 54 'ए' राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

**02.** बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

**03.** प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध कोई आबकारी अधिनियम का मामला लंबित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

**04.** इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

**05.** मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**06.** बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**07.** परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **मनोहरलाल उर्फ महेन्द्र पुत्र ठाकराराम** पुलिस थाना झाब, जिला सांचौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024 के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

**(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J**

689-mayank/-